भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या :**3682**

दिनांक 18 मार्च , 2021 / 27 फाल्गुन,1942(शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>विमानपत्तनों के निजीकरण के लिए बोली प्रक्रिया</u>

3682. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री एम.सेल्वराज:
श्री के.मुरलीधरन:
श्री बैन्नी बेहनन:
श्री एंटो एन्टोनी:
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
श्री उत्तम कुमार रेड्डी:
श्री विनसेंट एच.पाला:
डॉ. ए.चेल्ला कुमार:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2019 में विमानपत्तन की बोली प्रक्रिया पर नीति आयोग और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं की जानकारी है, जिसमें अडानी समूह को छह विमानपत्तनों का कार्य सौंपा गया है और यदि हां, तो ऐसे आपत्तियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त विमनपत्तनों के निजीकरण से पहले सभी से परामर्श किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह के कितने परामर्श किए गए थे और ये परामर्श किस तिथि को किए गए थे तथा इसमें किन हितधारकों ने भाग लिया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस तरह के निजीकरण के विरूद्ध किसी भी राज्य सरकार की आपत्तियां मिली हैं, और यदि हां, तो ऐसी आपत्तियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के निजीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ड.) क्या उक्त बोली में परियोजना प्राप्त करने वाली कंपनी के पूर्व अनुभव और तकनीकी क्षमता की कमी के विरूद्ध कोई आपत्ति थी; और

(च) यदि हां, तो उक्त आपत्तियों को खारिज करने वाले सभी छह विमानपत्तनों का कार्य, बोली लगाने वाली एक ही कंपनी को देने को क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने हाल ही में छह हवाईअड्डों यथा गुजरात में अहमदाबाद, राजस्थान में जयपुर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, असम में गुवाहाटी, केरल में तिरुवनंतपुरम और कर्नाटक में मंगलुरु को 50 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अवार्ड किया है। छह हवाईअड्डों की पीपीपी के संव्यवहार के नियमों और शर्तों का निर्णय सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता वाले सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएस) द्वारा लिया गया था, जिसमें अन्यों के साथ-साथ, वित्त मंत्रालय के सचिव (आर्थिक मामले विभाग, और व्यय विभाग) भी शामिल थे। इसलिए, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग इस निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा थे और इस समूह ने छह हवाईअड्डों की पीपीपी के लिए बोली प्रक्रिया की रूप रेखा को अंतिम रूप दिया। और अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और बोलीदाताओं को और अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई थीं:-

i. हवाईअड्डे का कोई पूर्व अनुभव नहीं।

ii. किसी निकाय द्वरा बोली लगाए जाने वाले हवाईअड्डों की संख्या पर कोई सीमा नहीं।

iii. राजस्व हिस्सेदारी की बजाय, बोली मानदंड के रूप में प्रति यात्री शुल्क

(ख): एएआई अधिनियम, 1994 (2003 में यथा संशोधित) की धारा 12क के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), भारत सरकार के अनुमोदन से, लोक हित में या हवाईअड्डों के बेहतर प्रबंधन के हित में, अपने कुछ कार्यों को निष्पादित करने के लिए, किसी हवाईअड्डे परिसर को (इस पर बने और इससे संबंधित भवनों और संरचनाओं सहित) पट्टे पर दे सकता है। तदनुसार, एएआई ने अपने कुछ हवाईअड्डों, यथा दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, गुवाहाटी, और

तिरुवनंतपुरम को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम के अंतर्गत प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पट्टे पर दिया है, जहां पट्टे पर दिए हुए इन हवाईअड्डों का स्वामित्व एएआई के पास रहेगा।

(ग) और (घ): संबंधित राज्य सरकारों की टिप्पिणयां, यदि कोई हों, पर हवाईअड्डों की पीपीपी संबंधी संव्यवहार प्रक्रिया के दौरान, गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। जहां तक तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे का संबंध है, केरल सरकार ने सुझाव दिया है कि (i) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) गठित करके प्रचालन और प्रबंधन के लिए, तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे का केरल सरकार को हस्तांतरण अथवा (ii) इनकार का प्रथम अधिकार (आरओएफआर) केरल सरकार का विशेष प्रयोजन वाहन को प्रदान किया जाना। केंद्र सरकार ने केरल सरकार के मतों पर विचार करके, तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे की पीपीपी के संबंध में एक विशेष मामले के रूप में केरल सरकार को निम्नलिखित दो विकल्प प्रदान किए:

विकल्प क: भारत सरकार, राज्य सरकार के सरोकारों/हितों पर ध्यान देने के लिए तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे के पीपीपी भागीदार की चयन प्रक्रिया में भागीदारी के प्रयोजनार्थ, केरल सरकार के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को विशेष आमंत्री के रूप में बुलाएगी।

अथवा

विकल्प ख: केरल सरकार द्वारा सुझाए गए आरओएफआर के विकल्प पर इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना कि वह निकाय/एसपीवी जिसमें केरल सरकार की 26 प्रतिशत या इससे अधिक इक्विटी होगी, बोली लगाएगी बशर्ते, एसपीवी की बोली उच्चतम बोली के 10 प्रतिशत (जमा या घटा) की सीमा में आती हो।

केरल सरकार ने दिनांक 18.12.2018 के पत्र द्वारा विकल्प ख, अर्थात उच्चतम बोली के 10 प्रतिशत (जमा या घटा) की सीमा के भीतर, केरल सरकार द्वारा प्रायोजित निकाय के लिए आरओएफआर को स्वीकार किया। तदनुसार, तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे के प्रस्ताव दस्तावेज के अनुरोध (आरएफपी) में संशोधन किया गया और राज्य सरकार द्वारा नमित निकाय के लिए आरओएफआर लाभ का प्रावधान समाविष्ट गया।

एएआई ने बोली प्रक्रिया पूरी कर ली है जिसमें मैसर्स अडाणी एंटरप्राइजेस लिमिटेड (एईएल) ने तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे के लिए उच्चतम बोली दी है। एएआई ने दिनांक 01.09.2020 को तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे के संबंध में रियायतग्राही को लेटर ऑफ एवार्ड जारी किया है। तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे के लिए एएआई और मैसर्स एईएल के बीच रियायत करार पर 19.01.2021 को हस्ताक्षर किए गए।

(ड.) और (च): छह हवाईअड्डों की पीपीपी के संव्यवहार के नियमों और शर्तों पर निर्णय सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता वाले सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएस) द्वारा लिया गया था, जिसमें अन्यों के साथ-साथ, वित्त मंत्रालय के सचिव (आर्थिक मामले विभाग, और व्यय विभाग) भी शामिल थे। इसलिए, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग इस निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा थे और इस समूह ने बोली प्रक्रिया की रूप रेखा को अंतिम रूप दिया और छह हवाईअड्डों की पीपीपी संबंधी बोली प्रक्रिया के लिए हवाईअड्डों के अनुभव को एक पूर्वापेक्षा न बनाने का निर्णय लिया।